न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 10 / 2021

1 मंगलचन्द पुत्र मन्नाराम जाति माली निवासी मोहब्बतसर तन चैलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामलाल पुत्र मुन्नाराम जाति माली निवासी ढ़ाणी लालसिंह वाली तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 रूकमणी देवी पुत्री मुन्नाराम पत्नी गोमाराम जाति माली निवासी हाल आबाद रेल्वे स्टेशन के पास रतनशहर तहसील व जिला झुंझुनू।
3 गोरा देवी पुत्री मुन्नाराम पत्नी पुष्कर जाति माली निवासी रेल्वे स्टेशन के पास रतनशहर तहसील व जिला झुंझुनू।
4 नाथी देवी पत्नी पूर्णमल।
5 मुकेश पुत्र पूर्णमल।
6 राकेश पुत्र पूर्णमल।
7 बिजु पुत्र पूर्णमल।
8 सोनू पुत्र पूर्णमल समस्त जाति माली निवासीगण मोहब्बतसर तन चेलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9 बबली पुत्री पूर्णमल पत्नी गिरधारीलाल।
10 बाली पुत्री पूर्णमल पत्नी सुभाष समस्त जाति माली निवासीगण उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

11 हीरालाल पुत्र भोमाराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 29 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.01.2019 द्वारा अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 85/2010 उनवानी रामलाल बनाम मंगलचन्द वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री श्रवण सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रकाश सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.07.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 85/2010 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 रामलाल ने ग्राम मोहबतसर तन चैलासी की भूमि खसरा नम्बर 450,451,594/451,593/451,595/451,452 के सन्दर्भ में उद्घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

प्रतिवादी संख्या 2,3,4 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन का स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय एवं डिक्री से वाद वादी डिक्री कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स नम्बर 1 व 4 लगायत 11 ने अपनी आपसी सहमती से दिनांक 05.12.1999 को अपनी पैत्रिक भूमि का बंटवारा कर लिया था और उक्त बंटवारा के अनुसार अपनी अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त बंटवारा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 450,451, 594/451 अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के हिस्से में आई थी व खसरा नम्बर 452 का आधा हिस्सा अपीलांट के हिस्से में आया। इस प्रकार खसरा नम्बर 450,451,594/451 में रेस्पोडेंट संख्या 1 का हिस्सा तथा अपीलांट का भी 1/3 हिस्सा था शेष 1/3 हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 की माता श्रीमती मनभरी देवी के हिस्से मे आई थी। अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 1 की माता श्रीमती मनभरी देवी के स्वर्गवास के बाद 1/3 हिस्से की भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 काश्त कर रहे है तथा खसरा नम्बर 452 का 1/2 हिस्सा अपीलांट काश्त कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का खसरा नम्बर 452 में कोई हिस्सा नही है। खसरा नम्बर 593/451 व 495/451 की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 10 के हिस्से में आई थी। जिसमें उन्होने 0.28 हैक्टेयर भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 11 को विक्रय कर दी, जिनका मालिक रेस्पोडेंट संख्या 11 है तथा 0.12 हैक्टेयर भूमि के मालिक रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 10 है तथा शेष 0.40 हैक्टेयर भूमि का मालिक अपीलांट है व काश्त कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने अपनी स्वेच्छा से ही अपना हिस्सा पहले ही अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 को आपसी सहमती से काफी वर्षो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

पूर्व त्याग कर दिया था उसके बाद अपीलांट व रेस्पोडेंट ने अपनी आपसी सहमती से बंटवारा कर लिया व काबिज काश्त है। बंटवारे में खसरा नम्बर 452 का आधा सम्पूर्ण हिस्सा अपीलांट के हिस्से में आया था। अपीलांट व रेस्पोडेंट ने अपनी सशपथ साक्ष्य में स्वीकार किया है कि हमारे बहिने रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 हमारी जमीन काश्त नही करती है और न ही जमीन में हिस्सा मांगती है। उन्होने अपना हिस्सा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 को त्याग दिया और अपीलांट व रेस्पोडेंट ने यह भी स्वीकार किया है कि हम दोनो भाई आधी आधी जमीन काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल ने अपनी सशपथ साक्ष्य में यह स्वीकार किया कि अपीलांट पश्चिम दिशा की जमीन व रेस्पोडेंट 4 लगायत 10 पूर्व दिशा की जमीन काश्त कर रहे है व उक्त बंटवारा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिताजी की मृत्यु से पहले का है और उसी अनुसार काश्त कर रहे है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने माता पिता के जीवनकाल में ही एक समझौता दिनांक 05.12.1999 को किया था उक्त समझौते के अनुसार ही अपीलांट व रेस्पोडेंट अपने अपने हिस्से में आई भूमि को काश्त कर रहे है। अदालत मातहत ने पारिवारिक समझौता दिनांक 05.12.1999 पर गौर न कर निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के मध्य दिनांक 05.12.1999 अर्थात 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमती से मजमे आम में बंटवारा हुआ था और उसी बंटवारा के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 01 अपने सशपथ साक्ष्य में जिरह में स्वीकार करता है कि अपीलांट मंगलचन्द पश्चिमी दिशा की भूमि काश्त करता है। मेरे बाप के मरने के बाद इस बंटवारा को मै नही मानता हूं। यह सही है कि मेरे पिताजी के मरने से पहले जिस प्रकार बंटवारा हुआ था उसी प्रकार से काश्त करते है व उसी अनुसार कब्जा है। बंटवारा में जमीन बराबर–बराबर आई थी। इससे यह साबित होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 झगड़ालू व बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जो आये दिन झगड़ा करता है। काश्त में समय अपीलांट के हिस्से की जमीन काश्त करने में व्यवधान पैदा करता है। अपीलांट बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से में मकान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बनाकर आबाद है काश्त व काबिज है। पटवारी हल्का के द्वारा जिस प्रकार से काश्त कर रहे है उसके अनुसार कुरेजात तैयार नही किये गये है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 आपसी सहमती से बंटवारा के अनुसार ही काबिज काश्त है और उसी अनुसार बंटवारा किया जाना उचित व न्यायोचित है। कुरेजात अपीलांट की उपस्थिति में तैयार न कर रेस्पोडेंट संख्या 01 के हिसाब से तैयार किये है न ही अपीलांट के इस पर हस्ताक्षर है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपीलांट के कथनों का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने तर्क दिया है कि विवादित भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 के पिता मुन्ना की खातेदारी में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 का 1/2,1/2 हक हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के वाद कथन का स्वीकार कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 अपने इकबाली जवाब से स्टाप्ड है। विचाराधीन निर्णय के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 05.12.1999 के सहमती से बंटवारे के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 05.12.1999 की लिखावट की छाया प्रति विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नही करवाई गई है। अपील के साथ इस लिखावट की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इस लिखावट में कही भी विवादित भूमि के खसरा नम्बर का अंकन नही है। यह लिखावट स्टाम्प पेपर पर नही है। यह लिखावट पंजिकृत नही है। यह लिखावट नोटेरी से सत्यापित नही है। अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विभाजन की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्राथमिक डिक्री पारित की है। प्रस्तुत अपील विचाराधीन निर्णय एवं विभाजन की प्राथमिक डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में कथित तथ्य इस स्तर पर विचारणीय नही है। विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में अपीलांट विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 के पिता मुन्ना की खातेदारी में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 का 1/2,1/2 हक हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट के पक्ष मे हक त्याग कर दिया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के वाद कथन का स्वीकार कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 अपने इकबाली जवाब से स्टाप्ड है। विचाराधीन निर्णय के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 ने दिनांक 05.12.1999 के सहमती से बंटवारे के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 05.12.1999 की लिखावट की छाया प्रति विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नही करवाई गई है। अपील के साथ इस लिखावट की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इस लिखावट में कही भी विवादित भूमि के खसरा नम्बर का अंकन नही है। यह लिखावट स्टाम्प पेपर पर नही है। यह लिखावट पंजिकृत नही है। यह लिखावट नोटेरी से सत्यापित नही है। अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है। प्रस्तुत अपील विचाराधीन निर्णय एवं विभाजन की प्राथमिक डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में कथित तथ्य इस स्तर पर विचारणीय नही है। विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रस्ताव के सन्दर्भ में अपीलांट विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27/07/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर